



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-08 / 2019- 160 दिनांक : 24/2/20

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत मजदूरी मद में ₹ 0 5.000 लाख (पाँच लाख रुपये) मात्र अतिरिक्त राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का उप आवंटन आदेश संख्या 01 / योब0-08 / 2019-742 दिनांक 01.08.2019 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची का पत्रांक 172 दिनांक 20.02.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा माँग की गई राशि के अनुरूप पूर्व उप आवंटित राशि के अतिरिक्त ₹ 0 5.000 लाख (पाँच लाख रुपये) मात्र का उप आवंटन मजदूरी मद में किया जाता है।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची होंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

3. पूर्व उप आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप आवंटन है। पूर्व उप आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-08 / 2019- 160 दिनांक- 24/2/20

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्रणी, झारखण्ड, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची / कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार


चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-08/2019/160

दिनांक -

24-Feb-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - बेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	88845	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	500,000.00 रुपये पाँच लाख



योग:

500,000.00

क्रमिक योग:

रुपये पाँच लाख


(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF DEV JHARKHAND RANCHI